हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर के शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत छात्रों हेतु विभिन्न विषयों में प्रायोगिक प्रशिक्षण (इंटर्नशिप, समर ट्रेनिंग आदि) के संबंध में।

MADHYA PRADESH
The heart of Incredible India

INTERNSHIP POLICY

मध्यप्रदेश टूरिज़्म बोर्ड, भोपाल

INTERNSHIP POLICY

हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु विभिन्न विषयों में प्रायोगिक प्रशिक्षण (इंटर्नशिप/समर ट्रेनिंग आदि) के संबंध में प्रशिक्षणार्थियों एवं शिक्षण संस्थाओं की ओर से मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को आवेदन प्राप्त होते हैं। अतः प्रशिक्षण करवाये जाने के संबंध में निम्न नीतिगत प्रावधान होंगेः-

1. शामिल किये जाने वाले संस्थान

निम्न संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी संस्थान के माध्यम से इंटर्नशिप, समर ट्रेनिंग के लिये मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड में आवेदन कर सकते है :-

- भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन से संबंद्ध सभी पर्यटन तथा होटल प्रबंध संस्थान फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट।
- भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के टूरिज्म तथा होटल प्रबंध संस्थान ।
- भारतीय वन प्रबंध संस्थान (IIFM)।
- अन्य प्रतिष्ठित संस्थान, जिसे प्रबंधन अनुमति दे।

2. शामिल किये जाने वाले पाठ्यक्रम

उपस्थित संस्थानों में उल्लेखित निकायों में अध्ययरत प्रशिक्षणार्थी निम्नलिखित पाठ्यक्रम हेतु इंटर्नशिप/समर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे :-

- एम.बी.ए./बी.बी.ए./बी.ए. (टूरिज्म)/बी.कॉम. (टूरिज्म)।
- बी.एस.सी. होटल मैनेजमेंट।
- सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा/ फूड प्रोडक्शन/फूड एण्ड बेवरेजेस/ फ्रंट ऑफिस/ हॉउस कीपिंग/ होटल ऑपरेशन।
- पी. जी. डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
- पर्यटन क्षेत्र की विधाओं जैसे फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, एडवरटाईजिंग, साहसिक खेल, जैव विविधता, टूर ऑपरेटिंग, जैसे पाठ्यक्रम।

3. प्रशिक्षण अवधि

शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा प्रस्तावित इंटर्नशिप/समर ट्रेनिंग हेतु निम्न समयसारणी निर्धारित रहेंगी :-

- ग्रीष्मकालीन - मई से जुलाई
- शीतकालीन - अक्टूबर से दिसम्बर

4. प्रशिक्षणार्थियों का चयन

संबंधित संस्थानों को मांग पत्र के साथ आवेदक का बायोडाटा तथा फोटोग्राफ, उप संचालक (प्रशिक्षण) मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को एक माह पूर्व निम्नलिखित शर्तों के साथ भेजना अनिवार्य है :-

- संबंधित संस्थान से बोनाफाईड विद्यार्थी होना आवश्यक।
- संबंधित संस्थान से संबंधित विद्यार्थी हेतु मूलतः अनुशंसा पत्र में स्पष्ट विषय संबंधी व प्रशिक्षण अवधि का उल्लेख होना।
- संबंधित संस्थान से प्राप्त संबंधित विद्यार्थी की अंतिम सेमेस्टर की अंकसूची।
- समस्त संस्थानों से प्राप्त आवेदनों के उपरांत आवश्यकतानुसार उप संचालक (प्रशिक्षण) सक्षम अधिकारी के तौर पर (यदि आवश्यक हो तो टेलीफोन पर या समक्ष में) साक्षात्कार उपरांत योग्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन करेंगे।

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण स्थल	उपलब्ध सीट्स
एम.बी.ए./बी.बी.ए./बी.ए./ बी.कॉम. (टूरिज्म)	मुख्यालय तथा मार्केटिंग कार्यालय	10 ग्रीष्मकालीन 10 ग्रीतकालीन
बी.एस.सी. होटल मैनेजमेंट तथा हउसकीपिंग/होटल ऑपरेशन/ फूड प्रोडक्शन/ फूड एण्ड बेवरेजेस/ फ्रंट ऑफिस	म. प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के रेसीडेन्सी/रिसोर्ट/होटल तथा अन्य चयनित निजी होटल/रिसोर्ट	25 ग्रीष्मकालीन 25 ग्रीतकालीन
पी.जी. डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट	वन तथा जलाशयों के क्षेत्र में स्थित म. प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाईयां/चयनित निजी रिसोर्ट/ होटल/पर्यावरण पर्यटन संबंधित परियोजनाऐं।	10 ग्रीष्मकालीन 10 ग्रीतकालीन
विविध पाठयक्रम - जैसे फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, साहसिक खेल, जैव विविधता, टूर ऑपरेटिंग जैसे पाठयक्रम।	मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड मुख्यालय	10 आवश्यकतानुसार

5. प्रशिक्षण माड्यूल

संबंधित संस्थानों के द्वारा प्रशिक्षणार्थी को दिये लाने वाली इंटर्नशिप/समर ट्रेनिंग हेतु माड्यूल तथा विषय सूची की जानकारी मांग पत्र के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।

6. संस्थानों के दायित्व

- शिक्षण संस्थान को उप संचालक (प्रशिक्षण) के साथ समन्वय रखकर प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तथा अवधि तय करना।
- उप संचालक (प्रशिक्षण) के अनुमोदन के अनुरूप ही प्रशिक्षणार्थी को सीधे संबंधित प्रशिक्षण स्थल/कार्यालय/इकाई में भेजना।
- छात्रों को प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण अवधि में कार्य व्यवहार की जानकारी देना।
- प्रशिक्षण उपरांत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रशिक्षणार्थी के वार्षिकि रिपोर्ट कार्ड/परिणाम में उक्त रिपोर्ट का समावेश करना आवश्यक होगा।

7. प्रशिक्षणार्थी के दायित्व

- समयनिष्ठ रहना।
- प्रशिक्षण के दौरान सीखे गये कार्यों को Log Book में लिखना।
- प्रशिक्षण स्थल पर कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना तथा आचार संहिता का पालन करना।
- प्रशिक्षण संस्था के प्रति ईमानदार तथा निष्ठावान रहना।
- प्रशिक्षण सम्पन्न होने पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना।
- प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में पूर्ण समय उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
- प्रोजेक्ट आधारित ट्रेनिंग हेतु प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। उक्त स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को दिये गये विषय पर प्रोजेक्ट बनाकर जमा किया जाना होगा।

8. मध्यप्रदेश पर्यटन के होटल/MOS का दायित्व

- छात्रों की ट्रेनिंग के प्रारंभ में उचित ब्रीफिंग आयोजित कर इंडक्शन करना तथा ट्रेनिंग शेड्यूल की जानकारी देना।
- छात्रों की नियमित उपस्थिति का रिकार्ड रखना।
- छात्रों द्वारा जमा की गयी लॉगबुक को सत्यापित करना।
- छात्रों को Do's & Don't's के बारे में अवगत कराना।

9. प्रशिक्षण स्थल पर विभागाध्यक्ष (HOD) की देखरेख में प्रशिक्षण सम्पन्न होगा।

10. प्रशिक्षण समाप्ति के समय संबंधित प्रशिक्षणार्थी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर विभागाध्यक्ष (HOD) / उप संचालक (कौशल संवर्धन) से सत्यापित कराकर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड कार्यालय में एक प्रति जमा करना होगा।

11. प्रशिक्षण अवधि सफलापूर्वक पूर्ण करने एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने के उपरांत मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संबंधित संस्थान को संबंधित प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण पूर्ण करने संबंधी जानकारी दी जावेगी।

12. प्रशिक्षणार्थी को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की ओर से

- प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने एवं वापस जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा मानदेय नहीं दिया जावेगा।
- संबंधित प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण स्थल पर आवास सुविधा, खानपान सुविधा नहीं दिया जावेगा।
- प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी को निम्न विवरण अनुसार मानदेय प्रदाय किया जावेगा ।

क्र.	पाठयक्रम	अवधि	मानदेय प्रति प्रशिक्षणार्थी
1	पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा/डिग्री	आवश्यकतानुसार	5000/- प्रतिमाह
2	बी.एस.सी./एम.बी.ए./बी.बी.ए/ बी.कॉम टूरिज़्म	आवश्यकतानुसार	2500/- प्रतिमाह
3	डिप्लोमा/सर्टिफिकेट/पी.जी. डिप्लोमा - एफ.सी.आई./एस.आई.एच.एम./ एम.पी.आई.टी.टी.एस इग्नू- सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स	आवश्यकतानुसार	1500/- प्रतिमाह

- इसके अलावा किसी भी संस्थान की विशिष्ट मांग की उपयोगिता के आधार पर मानदेय पर निर्णय किया जावेगा।

उक्त मानदेय का भुगतान, आधार Seeding के अनुसार संबंधित के बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से किया जावेगा।

13. आचार संहिता

प्रशिक्षण स्थल पर संबंधित प्रशिक्षणार्थी द्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की छवि के अनुरूप आचरण आवश्यक होगा तथा नियमों के विरूद्ध की गयी किसी भी प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही के लिए प्रशिक्षणार्थी एवं संबंधित संस्थान उत्तरदायी होगा।

The heart of
Incredible India

मध्यप्रदेश टूरिज़्म बोर्ड, भोपाल

INTERNSHIP POLICY

MADHYA PRADESH
The heart of Incredible India

Madhya Pradesh Tourism Board, Bhopal

INTERNSHIP POLICY

This policy intents to provide practical training experience (in summer/ winter etc.) to the students studying in various hospitality / tourism related schools in Madhya Pradesh or outside state.
Therefor, the policy provisions for Internship/Training will be as Follows :

1. **Institute Which can apply**

The students studying in following institutes will be entitled to apply for summer/ winter or other training at MP Tourism Board

- Institute of hotel management, Food Craft Institutes affiliated to Government of India or Madhya Pradesh.
- Institutes of Travel and Tourism affiliated to Government of India or Madhya Pradesh.
- Indian Institute of Forest Management.
- Any other institute permitted by the management of MP Tourism Board.

2. **Courses Included in Internship program**

Following courses will be included in Internship program

- MBA/BBA/BA (Tourism)/ B.COM(Tourism)
- B. Sc. in Hotel Management.
- Diploma/ certificate in Food Production/ Food & Beverage Service/ Front Office/ Housekeeping.
- PG Diploma in Forest Management/ Hotel Operations.
- Any other tourism related Courses like Photography, Digital Marketing, Advertising, Adventure sports, Bio-diversity, Tour Operators Course etc.

3. **Internship Period**

As per the proposal of educational institutes, the internship period will be as follows

- Summer Training Period- May to July
- Winter Training Period- October to December

4. **Selection of candidate**

It is compulsory for all the Institutes to send such request one month before the Internship period. The request should include following conditions including bio data and recent photograph of the candidates and sent to Deputy Director (Skill Development), MP Tourism Board.

- Bonafide Certificate of the Institute.
- The original request letter should clearly define the period of internship.
- The photocopy of last semester/ exam passing mark sheet
- After receiving all the applications, as a competent authority Deputy Director (Skill Development) will select candidates by conducting interview in person or through telephone/skype call.

Name of the course	Place of Training	Seats Available
MBA/BBA/BA/B.COM (Tourism)	Head Office and Marketing Offices	10- summer 10- winter
B.Sc. in Hotel Management/ certificate/ diploma/PG Diploma in food production, F&B Service/ Front Office/ Housekeeping/ hotel operations	The residency/resorts/ hotels of MPTDC or in selected private hotels/ resorts	25- summer 25- winter
PG Diploma In Forest Management	MPTDC Units near forest/ water bodies/ selected private hotels/ under various projects under responsible tourism	10- summer 10- winter
Other courses like Photography, digital marketing, Adventure Sports, Bio-diversity, Tour operating etc	MP Tourism Board, Head Office	10 or as per need

5. **Training Module**

Respective Institutes should provide the module for required internship and the subject along with the request letter.

6. **Responsibilities of the Institutes**

- Training Institutes need to coordinate with Deputy Director (Skill Development) about the number of trainees & the internship period.
- After getting written approval, the training Institutes will be responsible to send selected candidates to join directly on allotted locations like MPTDC Units/ Head office.
- Training Institutes are responsible for briefing their students about the place of training and their conduct during training period.
- The training institutes will be responsible to include training report, submitted by the candidate in their annual report/ result.

7. **Responsibilities of the Trainees**

- Be punctual
- Write all the works done/learning in a logbook
- Follow code of conduct and behave in a polite manner.
- Be honest and committed towards organisation.
- Submit the project report after finishing the training.
- Attendance for the stipulated training period is Compulsory.
- Attendance is not compulsory in project base training but the project needs to be submitted mandatorily.

8. **Responsibilities of MPTDC Hotels/ Marketing Offices**
    - Conduct briefing before/ induction before the commencement of the internship.
    - Record attendance
    - Verify the logbook
    - Explain the Do's and Don'ts of the organisation to the interns.

9. **Training will be conducted under the supervision of the unit head/ departmental head.**

10. **On completion of training the candidate will get the training report verified from respective Unit Head/ departmental head before submitting the report to Deputy Director (Skill Development), MP Tourism Board.**

11. **On successful completion of the internship training MP Tourism Board will issue a certificate and inform respective training institution.**

12. **From MP Tourism Board towards the interns.**
    - No travelling expenses will be paid for reaching/ returning to the allotted training place.
    - No accommodation and food will be provided to interns.
    - The trainees will be paid stipend as per the following norms.

SN	COURSES	PERIOD	STIPEND/ TRAINEE
1	Post Graduate Diploma In Forestry Management	As per Requirement	Rs 5000/ Month
2	B.Sc (in Hotel Management)from IHM or SIHM / MBA/BBA/BA/ B.COM (Tourism)	As per Requirement	Rs. 2500/ month
3	Certificate/ diploma/PG Diploma in Food Production, F&B Service, Housekeeping/ hotel operations from Food Craft Institutes & IGNOU	As per Requirement	Rs. 1500/ month

- Apart from above, on requirements of any specific training, the stipend will be decided by the management.
- All the stipends will be transferred to the bank account of candidate through NEFT/RTGS.

13. Code of Conduct

All the candidates are expected to observe code of conduct keeping the image of MP Tourism in mind.

The candidate found involved in any in-disciplinary/ illegal activity will be liable to strict action as per rule/law.

MADHYA PRADESH

The heart of
Incredible !ndia

Madhya Pradesh Tourism Board, Bhopal